-05-

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या– 71/2022

धर्मनाथ महतो वगै० बनाम् Apex Public School Marangmarcha Udise Code-20241501103 Through & Others.

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

–:: आदेश ::–

17.03.2023

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (बिक्रेता)–(1) धर्मनाथ महतो, (2) बाबुराम महतो दोनो के पिता–स्व0 टेपा महतो, (3) मोहरी देवी, पति–बाबुराम महतो, सभी के जाति कुर्मी (महतो) पेशा गृहस्थी वो गृहणी, निवास ग्राम–मरंगमारचा, पो०–साण्डी, थाना–रजरप्पा, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा नीचे वर्णित भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49 के अन्तर्गत Apex Public School Marangmarcha Udise Code-20241501103 Through & Others. निदेशक भागीरथ कुमार, पिता–बाबुराम महतो, सचिव, संतोष कुमार महतो, पिता–धर्मनाथ महतो, उप–निदेशक, अरविन्द कुमार, पिता–बाबुराम महतो, कार्य कारिणी समिति सदस्य, मदन महतो, पिता–धर्मनाथ महतो, निवास स्थान–मारंगमरचा, पो०–साण्डी, थाना–रजरप्पा, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड को नीचे वर्णित भूमि 30 वर्षो के लिए लीज देने हेतु अनुमति आवेदन दायर किया गया है।

अनुमति हेतु दायर भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा	थाना/ थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (अनुमति हेतु प्रस्तावित रकवा एकड़ में)
मारंगमरचा	रजरप्पा/160	56	1625	0.34 ए०
मारंगमरचा	रजरप्पा/160	56	1373	0.6468 ए०
मारंगमरचा	रजरप्पा/160	56	1373	0.29 ए०
मारंगमरचा	रजरप्पा/160	56	1290	0.548 ए०
मारंगमरचा	रजरप्पा/160	56	1290	0.2744 ए०
कुल रकवा				2.0992 ए०

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49 के अन्तर्गत हस्तान्तरण की अनुमति हेतु निम्न प्रावधान है :–

Transfer of occupancy-holding or Bhuinhari-tenure for certain purposes :-

1. Notwithstanding anything contained in Sections 46, 47, and 48 any occupancy raiyat or any member of a Bhuinhari family, who is referred to in Section 48 may transfer his holding or tenure or any part thereof for the following purposes, -

(a) In any case, the use of the land for any industrial purposes or for any other purposes which the State Government may, by ratification declare to be subsidiary thereto or for access to land used or required for any such purpose.

(b) In any case, the use of the land for the purpose of mining or for any other purpose which the State Government may, by notification, declare to be subsidiary thereto or for access to land used or required for any such purpose.-----

Before consenting to nay transfer, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that [adequate compensation is tendered to landlord for the loss (if any) caused to him by the transfer], and, where only part of holding or renure as transferred, may, if he thinks fit, apportion, between the transferee and the original tenant the rent payable for the holding or tenure

आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमति हेतु Apex Public School Marangmarcha Udise Code-20241501103 Through & Others. का विस्तार करने हेतु 30 वर्षो के लिए लीज पर देने हेतु आवेदकों द्वारा अनुमति की माँग की गई है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–49 में इस उद्देश्य एवं अवधि के लिए लीज हेतु परमिशन का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–49 के अंतर्गत अनुमति हेतु दायर आवेदन विचार करने योग्य नहीं है, आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
17.3.2023
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
17.3.2023
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.03.31 12:26:40 +05:30
Location: 192.168.137.1